

प्रेषक,  
श्रीप्रकाश सिंह,  
सचिव,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
नगर निकाय निदेशालय,  
उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2014

विषय: वेतन समिति (2008) के संस्तुतियों के अनुसार राजकीय विभागों के सचिवालय के इतर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के पत्र संख्या-वे.आ.-2-401/10-54(एम)/08टी.सी., दिनांक-18.03.11 एवं पत्र संख्या-वे.आ.-2-2105/दस-54(एम)/08टी.सी. दिनांक-22 दिसम्बर, 2011, को निम्नानुसार पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. लिपिकीय संवर्ग के कनिष्ठ लिपिक/टंकक के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता में कम्प्यूटर संचालन में डोएक (DOEAC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र की अर्हता का समावेश करते हुये इन पदों को पदनाम कनिष्ठ सहायक रखते हुये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनबैण्ड-1, रू0 5,200-20,200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 दिनांक-18 मार्च, 2011 से अनुमन्य कराया जायेगा।
2. लिपिकीय संवर्ग के वरिष्ठ लिपिक वेतनबैण्ड-1, रू0 5,200-20,200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 के पदों को वरिष्ठ सहायक पद नामित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनबैण्ड-1 रू0 5200-20,200 एवं ग्रेड वेतन 2800 दिनांक-18 मार्च, 2011 से अनुमन्य कराया जायेगा तथा वरिष्ठ सहायक के इन पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
3. लिपिकीय संवर्ग के वरिष्ठ सहायक के ऐसे पद जो अपुनरीक्षित वेतनमान रू. 4500-7,000 में थे और जिन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 रू. 5200-20,200 एवं ग्रेड वेतन रू.2800/- अनुमन्य हुआ था, को प्रधान सहायक पद नामित करते हुए वेतन बैण्ड-2 रू. 9300-34,800 ग्रेड वेतन रू. 4200/- दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से अनुमन्य कराया जायेगा।
4. लिपिकीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी वेतनबैण्ड-2, रू0 9,300-34,800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर इन पदों पर वेतनबैण्ड-2 रू0 9,300-34,800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 दिनांक-22 दिसम्बर, 2011 से अनुमन्य कराया जायेगा।

5. लिपिकीय संवर्ग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनबैण्ड-2 रू0 9,300-34,800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 के पदों पर वेतनबैण्ड-2 रू0 9,300-34,800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 दिनांक-18 मार्च, 2011 से अनुमन्य कराया जायेगा।

2. उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों के आलोक में निदेशक नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग का ढाँचा दिनांक-18 मार्च, 2011 से निम्नवत् होगा:-

वर्तमान ढांचा				पुनर्गठित ढांचा				
क्र. स.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्तमान वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पदनाम	पदों की सं0	पुनरीक्षित वेतन संरचना में		भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/ प्रक्रिया
						वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू.)	
1.	कनिष्ठ लिपिक	10	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	कनिष्ठ सहायक	10	5200- 20200	2000	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता- इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEAC) सोसाईटी द्वारा प्रदत्त "सी.सी.सी. प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2.	वरिष्ठ लिपिक	10	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	वरिष्ठ सहायक	31	5200- 20200	2800	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा -05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3.	वरिष्ठ सहायक	21	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2800					
4.	प्रशासनिक अधिकारी	03	9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	प्रशासनिक अधिकारी	03	9300- 34800	4200	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा -05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।
5.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4600	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	9300- 34800	4800	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा -05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।



तथा लिपिकीय संवर्ग का उपर्युक्तनुसार पुनर्गठित ढांचा दिनांक-22 दिसम्बर, 2011 से निम्नानुसार पुनर्गठित/संशोधित होगा:-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में		भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया
			वेतन बैंड रू०	ग्रेड वेतन रू.	
1	वरिष्ठ सहायक	10	5200- 20200	2800	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा -05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
2.	प्रधान सहायक	21	9300-34800	4200	वरिष्ठ सहायक से शत प्रतिशत.पदोन्नति द्वारा।
3.	प्रशासनिक अधिकारी	03	9300-34800	4600	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा -05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से।
4.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	9300-34800	4800	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा -05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।

3. उक्तानुसार उच्चिकृत/संशोधित वेतनबैंड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-841/दस-2009-59(एम)/2008टी.सी. दिनांक-24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

4. उक्त व्यवस्था का समावेश सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र करा लिया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-639/दस-2014, दिनांक-18.06.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)  
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/लेखापरीक्षा प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।
2. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(उमाशंकर सिंह)  
उप सचिव।